कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, औरंगाबाद।

इंदिरा आवास योजनान्तर्गत संविदा आधारित नियोजन के निमित्त

ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक पद हेतु चयन पत्र

पत्रांक– 1695 /जि०ग्रा०वि०, दिनांक– 13-12-2014

प्रेषित,

श्री **शब्बु नदिम**

आवेदन आई०डी० संख्या : **GAP/0029930**

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना के संकल्प पत्रांक– 165209, दिनांक– 03.10.2013 तथा पत्रांक– 139978, दिनांक– 23.10.2013 द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में आपका **कुटुम्बा प्रखंड** में **ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक** के पद पर नियुक्ति तथा पदस्थापन निम्नांकित शर्तों के साथ किया जाता है :–

1. चयन ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं तथा प्रमाण पत्रों के भौतिक सत्यापन के बाद किया गया है। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि आपके द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गयी सूचनाएँ असत्य है अथवा आपके द्वारा किसी तथ्य को छुपाया गया है तो नियोजन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जायेगा एवं विधि सम्मत यथोचित कार्रवाई की जाएगी।
2. यदि पाया जाता है कि जिन शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों के आधार पर अपने अपने नियोजन का दावा प्रस्तुत किया था, वे किसी ऐसे शैक्षणिक सस्थान /विश्वविद्यालय /बोर्ड) द्वारा निर्गत है, जिन्हें सक्षम प्राधिकार के द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गयी है, सो नियोजन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जायेगा।
3. यह नियोजन पूर्णतया संविदा आधारित है। नियोजित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य सुविधा के हकदार माने जायेंगें।
4. नियोजित व्यक्ति के द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितिकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नही होगा।
5. संविदा पर चयन इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगा। कार्य संतोषजनक होने पर पुनः एक वर्ष के लिए संविदा नवीकृत की जा सकेगी।
6. कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर आपको सेवामुक्त किया जा सकेगा।
7. संविदा की अवधि समाप्ति के पुर्व यदि आपका पुर्ननियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को आपका नियोजन स्वतः समाप्त माना जायेगा। इसके लिए अलग से कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
8. इन्दिरा आवास योजना, एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। अतएव संविदा के आधार पर यह नियोजन तभी तक मान्य होगा, जबतक योजना के कार्यान्वियन हेतु केन्द्र सरकार से आवश्यक निधि प्राप्त होती रहेगी।
9. यदि उपर्युक्त शर्ते आपको मान्य हो तो जिला पदाधिकारी के स्तर से निर्गत आचरण प्रमाण पत्र एक माह के अंदर प्रखण्ड कार्यालय **कुटुम्बा** में जमा करेंगे।
10. आप तीन दिनों के अंदर पदस्थापित प्रखंड में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे निर्धारित तिथि तक उपस्थित नहीं होने पर आपकी अभ्यर्थिता स्वतः रद्द कर दी जायेगी।

सेवा में,

श्री **शब्बु नदिम**

उप विकास आयुक्त,

औरंगाबाद